	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 27, गुरूवार, शाके 1944-अगस्त 18, 2022 *Sravana 27, Thursday , Saka 1944- August 18, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 17, 2022

संख्या प.1(13)न्याय/2022 :-इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.06.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित न्यायालयों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमायें, निम्नानुसार पुनः नियत करती है :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	जिला	क्षेत्रीय अधिकारिता की पुनरीक्षित सीमाऐं/क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (उत्तर)	कोटा	कोटा नगर निगम (उत्तर) के वार्ड संख्या 1 से 25 तक का क्षेत्र
2	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, कोटा (उत्तर)	कोटा	कोटा नगर निगम (उत्तर) के वार्ड संख्या 26 से 50 तक का क्षेत्र
3	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, कोटा (उत्तर)	कोटा	कोटा नगर निगम (उत्तर) के वार्ड संख्या 51 से 70 तक का क्षेत्र
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (दक्षिण)	कोटा	कोटा नगर निगम (दक्षिण) के वार्ड संख्या 1 से 25 तक का क्षेत्र तथा नगर निगम (उत्तर) एवं नगर निगम (दक्षिण) के समस्त वार्डो की परिसीमा को छोडकर तहसील लाडपुरा के शेष समस्त ग्राम
5	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, कोटा (दक्षिण)	कोटा	कोटा नगर निगम (दक्षिण) के वार्ड संख्या 26 से 50 तक का क्षेत्र
6	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, कोटा (दक्षिण)	कोटा	कोटा नगर निगम (दक्षिण) के वार्ड संख्या 51 से 80 तक का क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।